



SECTION - AA



FRONT ELEVATION



REAR ELEVATION

NORTH

PROJECT:-
 COMPOUNDING & PROPOSED GROUP HOUSING-3 AT KHASRA NO. 155(P), 154 (P), 156(P), 159, 160(P), 157(G.S.) IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

NOTES

प्र. सं. 2640/FS-16
 दिनांक 11-09-2017 को शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया।

अभिषेक कुमार
 अभियंता
 लखनऊ

मुख्य अभियंता
 लखनऊ

प्रतिबन्ध	
1	भू-स्वामित्व तथा भूमि सार्वजनिक के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई दिग्दर्शी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल सभी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कंपनी के नाम है। मुख्य एवं द्वितीय क्रम का स्वामित्व प्राप्त करना की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता जब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का स्वामित्व/अधिकार भूमि प्रा. की कार्यवाही विकासकर्ता के पास में न हो जाये।
2	वर्तमान शासनादेश के अन्तर्गत तैयार स्वामित्व प्राप्त के अनुसार शासनादेश अधिनियम लागू होगा।
3	शासनादेश के अनुसार स्वतंत्र पर मुख्य विद्युत् निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4	तैयार स्वामित्व प्राप्त व सर्वोत्तम स्वतंत्र के अनुसार स्वतंत्र पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
5	मुख्य एवं द्वितीय क्रम अधिकारी को निर्देशों का पालन करना होगा।
6	पूर्णा प्राप्ति पर प्राप्त करना होगा।
7	रेगुलेशन ड्राइविंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्वतंत्र पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8	अक्टूबर 2010-2010, सेक्टर एक्ट का अनुपालन एवं निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा।
9	स्वतंत्र पर शारीरिक रूप से विकल्पित व्यक्तियों हेतु रैम का निर्माण एवं बाधा रहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
10	स्वतंत्र पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचनाएं लगाना होगा।
11	यदि कोई रेगुलेशन निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा नीचे जाने पर अधिकृत जमा करना होगा।
12	यदि नवीन में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई अन्य छुटा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतंत्र निरस्त माना जाएगा।
13	नैतिकता एवं चर्चित हेतु पूर्ण स्वीकृत मानचित्र के समस्त प्रस्तुत बैंक गारंटी की अंतिम निगत शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित कर शारीरिक बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

यदि मानचित्र प्रस्तावित नया क्षेत्र को विकास अधिकारी द्वारा भी स्वीकृत नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतंत्र निरस्त माना जाएगा।

यदि मानचित्र प्रस्तावित नया क्षेत्र को विकास अधिकारी द्वारा भी स्वीकृत नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतंत्र निरस्त माना जाएगा।

स्वीकृत/प्रमाणित
 परमिट संख्या: 1244/17
 दिनांक: 21/09/2017
 स्वीकृत की वेबसाइट: www.lko.gov.in
 अधिशासी अभियंता
 विकास क्षेत्र, लखनऊ

DRAWING TITLE
 SUBMISSION DRAWING
 ELEVATION & SECTION OF 3 BHK UNIT-15

ARCHITECT
 DEEPAK VASHISHTA

SCALE DATE
 1:100 SEP-2017

यह मानचित्र लखनऊ नगरपालिका 2001 तथा धन चर्चित 2008 का समक शासनादेशों के अनुसार तैयार किया गया है।

CLIENT OWNERS
OMAXE
 Turning dreams into reality
 OMAXE LTD
 CYBER TOWER, JIND FLOOR, TC-34V2
 VISHWATI KHANNO, GATEWAY NAGAR,
 LUCKNOW-226001
 CALL: (0522)-4913000, 4000173

ARCHITECT'S SIGNATURES
 DRAWING NUMBER- INT./LKO/GH3/SUB-8/12